


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 350]
No. 350]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 12, 2013/आषाढ 21, 1935
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 12, 2013/ASADHA 21, 1935

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2013

सा.का.नि. 483(अ).- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय सचिवालय सेवा नियम, 2009 के नियम 12 के उप-नियम (2) के खंड (घ) और नियम 16 के उप-नियम (2) के अनुसरण में निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सचिवालय सेवा (अनुभाग अधिकारियों और सहायकों की श्रेणियों के लिए चयन सूचियों की तैयारी) विनियम, 2013 है।

(2) ये 1 जुलाई, 2009 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. परिभाषाएं.—(1) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "केंद्रीय सरकार" से कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग अभिप्रेत है ;

(ख) "नियम" से केंद्रीय सचिवालय सेवा नियम, 2009 अभिप्रेत है ;

(ग) "पात्र अधिकारी" से कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जिसने ऐसे आवश्यक प्रशिक्षण कार्यक्रम, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं, में भाग लिया है और उसे सफलतापूर्वक पूरा किया है तथा केंद्रीय सचिवालय सेवा नियम, 2009 के नियम 12 के अधीन, यथास्थिति, अनुभाग अधिकारी ग्रेड या सहायक ग्रेड में नियुक्ति के लिए उस वर्ष की पहली जुलाई को, जिसके लिए चयन सूची तैयार की गई है, नियुक्ति के लिए पात्र है ;

(घ) "विभागीय प्रोन्नति समिति" से विनियम 5 के अनुसार गठित समिति अभिप्रेत है ;

(ड) "परीक्षा" से सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा अभिप्रेत है ;

(च) "विचार-क्षेत्र" से पात्र अधिकारियों की सूची अभिप्रेत है जिससे चयन सूची में समावेशन किया जाएगा ;

(2) सभी अन्य शब्द और पद, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं किंतु इनमें परिभाषित नहीं हैं, उनका क्रमशः वही अर्थ होगा जो केंद्रीय सचिवालय सेवा नियम, 2009 में है ।

3. चयन सूची की पद संख्या और विचारण क्षेत्र-

(1) एक वर्ष के लिए चयन सूची में सम्मिलित किए जाने वाले अधिकारियों की पद संख्या केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाएगी और विद्यमान नियमित रिक्तियों की दृष्टि से, वर्ष की पहली जुलाई को ही अग्रणीत करके सम्मिलित की जाएगी और आगामी वर्ष की 30 जून तक नियमित रिक्तियों की प्रत्याशा की जाएगी ।

(2) विभागीय प्रोन्नति समिति के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विचार-क्षेत्र होगा और इसे केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाएगा ।

4. चयन सूची को तैयार करना-

क. अनुभाग अधिकारी ग्रेड :

(1) अनुभाग अधिकारी के ग्रेड के लिए चयन सूची को चयन सूची की पद संख्या के अनुसार वर्ष की पहली जुलाई को ही प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाएगा ।

(2) वर्ष के लिए चयन सूची में समावेशन नीचे विनिर्दिष्ट व्यक्तियों और जो उस वर्ष के लिए अवधारित पद संख्या के प्रति उपलब्ध हो जाते हैं, के प्रत्येक प्रवर्ग में से चक्रानुक्रम द्वारा एक व्यक्ति लेकर केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा :—

(i) सहायक ग्रेड के ऐसे पात्र अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम आठ वर्ष की अनुमोदित सेवा की है और जो विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश पर अनुपयुक्त होने की नामजूसरी के अध्यक्ष रहते हुए, अपनी ज्येष्ठता के क्रम में विचार-क्षेत्र में हैं ;

(ii) ऐसे व्यक्ति जिनका समय-समय पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित नियम 12 के उपनियम (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट परीक्षा के परिणामों के आधार पर अपनी योग्यता के क्रम में चयन किया गया है :

परंतु पूर्वोक्त प्रत्येक प्रवर्ग से व्यक्तियों का चक्रानुक्रम किसी भी कथित प्रवर्ग से उपलब्ध व्यक्तियों के विस्तार तक ही लिया जाएगा, तत्पश्चात् अन्य प्रवर्ग से व्यक्ति सामूहिक रूप से सम्मिलित किए जाएंगे ।

ख. सहायक ग्रेड :

(1) सहायक के ग्रेड के लिए चयन सूची को चयन सूची की पद संख्या के अनुसार वर्ष की पहली जुलाई को ही प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाएगा ।

(2) वर्ष के लिए चयन सूची में समावेशन नीचे विनिर्दिष्ट व्यक्तियों और जो उस वर्ष के लिए अवधारित पद संख्या के प्रति उपलब्ध हो जाते हैं, के प्रवर्गों में से 3:2 अनुपात के चक्रानुक्रम द्वारा व्यक्तियों को लेकर केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा :—

(i) उच्च स्तर ग्रेड लिपिक के ऐसे पात्र अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम दस वर्ष की अनुमोदित सेवा की है और जो विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश पर अनुपयुक्त होने की नामजूसरी के अध्यक्ष रहते हुए अपनी ज्येष्ठता के क्रम में विचार क्षेत्र में हैं ;

(ii) ऐसे व्यक्ति जिनका समय-समय पर कर्मचारी आयोग द्वारा आयोजित नियम 12 के उप-नियम (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट परीक्षा के परिणामों के आधार पर अपनी योग्यता के क्रम में चयन किया गया है :

परंतु उप-विनियम 2 में कथित प्रत्येक प्रवर्ग से व्यक्तियों का चक्रानुक्रम किसी भी कथित प्रवर्ग से उपलब्ध व्यक्तियों के विस्तार तक ही लिया जाएगा, तत्पश्चात् अन्य प्रवर्ग से व्यक्ति सामूहिक रूप से सम्मिलित किए जाएंगे :

परंतु यह और कि उप-विनियम (2) के खंड (i) के प्रयोजन के लिए उच्च स्तर ग्रेड के अधिकारियों की ज्येष्ठता वह होगी जो केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा नियम, 1962 के अनुसार जारी केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा (सामान्य ज्येष्ठता सूची की तैयारी) विनियम, 1971 के अधीन तैयार की गई उच्च स्तर ग्रेड के सामान्य ज्येष्ठता सूची में समनुदेशित हैं।

5. विभागीय प्रोन्नति समिति- (1) विचार-क्षेत्र में पात्र अधिकारियों की उपयुक्तता का निर्धारण करने और यथास्थिति अनुभाग अधिकारी या सहायक ग्रेड की चयन सूची में समावेशन के लिए उपयुक्त सिफारिश करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति को समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा गठित किया जाएगा, जिसकी संरचना निम्नानुसार होगी, अर्थात् :-

(i)	संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी	-	अध्यक्ष
(ii)	तीन निदेशक या उप सचिव स्तर के अधिकारी	-	सदस्य
(iii)	अवर सचिव	-	सदस्य

(2) विभागीय प्रोन्नति समिति, केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथाकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों या अनुदेशों का अनुसरण करेगी।

6. ज्येष्ठता- (1) विनियम 4 के अधीन चयन सूची में सम्मिलित पात्र अधिकारी उस क्रम में परस्पर वर्गीकृत किए जिसके लिए उन्हें चयन सूची में सम्मिलित किया गया है।

(2) श्रेणी के लिए चयन सूची से सहायक के ग्रेड में नियमित रूप से नियुक्त व्यक्तियों और उस अवधि की तत्समान अवधि के लिए, जिसके लिए चयन सूची तैयार की गई है, नियमित रिक्तियों के मुकाबले में भर्ती किए गए सहायक ग्रेड में सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों की सापेक्ष ज्येष्ठता क्रमशः चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए निश्चित की गई श्रेणी में नियमित रिक्तियों के कोटा के चक्रानुक्रम और 1:3 के अनुपात में सीधी भर्ती के अनुसार अवधारित की जाएगी।

(3) यदि यथास्थिति, ज्येष्ठता या सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा या सीधी भर्ती के आधार पर श्रेणी में नियुक्त व्यक्तियों की पर्याप्त संख्या श्रेणी में उपलब्ध नहीं है तो ज्येष्ठता अवधारण करने के प्रयोजन के लिए प्रत्येक पूर्वोक्त प्रवर्ग के लिए रिक्तियों के कोटाओं के चक्रानुक्रम को किसी भी प्रवर्ग से उपलब्ध व्यक्तियों की सीमा तक ही लिया जाएगा और अन्य प्रवर्ग से उपलब्ध व्यक्ति सामूहिक रूप से अंतिम स्लाट से नीचे सामूहिक रूप से रखा जाएगा।

7. चयन सूची से नामों का हटाया जाना.—केंद्रीय सरकार द्वारा चयन सूची से निम्नलिखित प्रवर्गों के व्यक्तियों के नामों को हटाया जाएगा :

(क) संबद्ध ग्रेड में नियुक्त हुए व्यक्ति ;

(ख) अन्य सेवा या पद को स्थानांतरित व्यक्ति ;

(ग) वे व्यक्ति, जो मृत हो जाते हैं या सेवा से निवृत्त हो जाते हैं या जिनकी सेवाएं अन्यथा समाप्त हो जाती ; और

(घ) (i) नियम 13 में विनिर्दिष्ट परिवीक्षा अवधि के परे अपनी-अपनी श्रेणी में पद धारण कर रहे व्यक्ति, जो केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के अधीन विभागीय जांच या कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप इससे प्रतिवर्तित हो जाते हैं ; या

(ii) वे व्यक्ति जो नियम 13 में विहित अपनी-अपनी श्रेणी में या तो परिवीक्षा अवधि के दौरान या अंत में उस श्रेणी के आधार पर नियम 15 के उप-नियम 4 के अधीन उससे प्रतिवर्तित हो जाते हैं ; या

(iii) ऐसे व्यक्ति जिन्हें अपनी-अपनी श्रेणी में अभी तक नियुक्त किया जाना है जो चयन सूची के वार्षिक पुनर्विलोकन पर चयन सूची में समावेशन के समय से अपने अभिलेख या आचरण में हास के कारण अपेक्षित मानक नीचे पाए जाते हैं।

[फा0 सं0 1/7/2009-सीएस.1(पी)]

मनोज जोशी, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन

केंद्रीय सचिवालय सेवा नियम, 2009 को 27 फरवरी, 2009 में अधिसूचित किया गया था। पूर्वोक्त तारीख से उक्त नियमों के नियम 24 ने केंद्रीय सचिवालय सेवा नियम, 1962 और उसके अधीन बनाए गए नियमों को निरसित कर दिया था। अनुभाग अधिकारी के ग्रेड और सहायक के ग्रेड की चयन सूचियों की तैयारी के लिए कोई विनियम तब तक प्रवृत्त नहीं है जब तक उक्त केंद्रीय सचिवालय सेवा नियम, 2009 के अधीन नए विनियम विरचित नहीं हो जाते हैं। इसलिए पूर्ववर्ती विनियमों के निरसित होने के पश्चात् उद्भूत रिक्तियां केवल नए विनियमों को प्रवृत्त किए जाने के पश्चात् ही भरी जा सकती हैं। प्रस्तावित विनियमों का भूतलक्षी प्रभाव 2009 से पूर्वतर विनियमों के निरसन द्वारा सृजित रिक्त स्थान का भरा जाना ही है। इसके अतिरिक्त ये विनियम, विद्यमान नियमों के संशोधन नहीं हैं किन्तु इन्हें केवल उक्त विनियमों को अग्रसर करने के लिए जारी किया जाता है और भूतलक्षी प्रभाव इन्हें मुख्य नियमों के समवर्ती बनाएगा। इन विनियमों के अधीन अनुभाग अधिकारी के ग्रेड और सहायक के ग्रेड की चयन सूचियां 2009 के आगे तैयार की जाएंगी जिनमें से कोई भी अभी तक तैयार नहीं की गई हैं। इस प्रकार इन नियमों को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(Department of Personnel and Training)**

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July 2013

G.S.R. 483(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in pursuance of clause (d) of sub-rule 2 of rule 12 and sub-rule (2) of rule 16 of the Central Secretariat Service Rules, 2009, the President hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These regulations may be called the Central Secretariat Service (Preparation of Select Lists for the Section Officers' and Assistants' Grades) Regulations, 2013.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of July, 2009.

2. Definitions.— (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, -

(a) "Central Government" means the Department of Personnel and Training in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions;

(b) "Rules" means the Central Secretariat Service Rules, 2009;

(c) "Eligible Officer" means any officer who has undergone and successfully completed such mandatory training programmes as may be prescribed by the Central Government and is eligible for appointment to the Section Officers' Grade or Assistants' Grade, as the case may be, under rule 12 of the Central Secretariat Service Rules, 2009, as on the first of July of the year for which the Select List is prepared;

(d) "Departmental Promotion Committee" means the Committee constituted in accordance with regulation 5;

(e) "Examination" means Limited Departmental Competitive Examination;

(f) "zone of consideration" means the list of eligible officers from which inclusions will be made in the Select List.

(2) All other words and expressions used in these regulations and not defined herein shall have the meanings respectively assigned to them in the Central Secretariat Service Rules, 2009.

3. Strength of Select List and zone of consideration.—

(1) The strength of officers to be included in the Select List for a year shall be determined by the Central Government, from time to time and, keeping in view the existing regular vacancies, including carried forward, as on the first of July of the year and anticipated regular vacancies upto the thirtieth June of the following year.

(2) The zone of consideration shall be as specified under the Departmental Promotion Committee guidelines and approved by the Central Government.

4. Preparation of the Select List.—**A. Section Officers' Grade :**

(1) Select List for the Section Officers' Grade shall be published every year as on the first of July of the year in accordance with the strength of Select List.

(2) Inclusions in the Select List for the year shall be made by the Central Government by taking one person each by rotation from out of the categories of persons specified below and become available against the strength determined for that year:-

- (i) Eligible Officers of the Assistants' Grade who have rendered not less than eight year's approved service in that Grade and are in the zone of consideration, in the order of their seniority, subject to the rejection of the unfit, on the recommendations of the Departmental Promotion Committee;
- (ii) persons selected on the basis of results of Examination referred to in clause (a) of sub-rule (1) of Rule 12, held by the Union Public Service Commission, from time to time, in the order of their merit:

Provided that the rotation of persons from each of the aforesaid category shall be taken only to the extent of the available persons from any of the stated category and persons from the other category shall, thereafter, be included enbloc.

B. Assistants' Grade:

(1) Select List for the Assistants' Grade shall be published every year on the first of July of the year in accordance with the strength of Select List.

(2) Inclusions in the Select List for the year shall be made by the Central Government by taking persons by rotation in the ratio of 3:2 from out of the categories of persons specified below and become available against the strength determined for that year:-

- (i) Eligible Officers of the Upper Division Grade who have rendered not less than ten year's approved service in that Grade and are in the zone of consideration, in the order of their seniority in that grade, subject to the rejection of the unfit, on the recommendations of the Departmental Promotion Committee;
- (ii) persons selected on the basis of results of the Examination referred to in clause (a) of sub-rule (2) of Rule 12, held by the Staff Selection Commission, from time to time, in the order of their merit:

Provided that the rotation of persons from each of the category stated in sub-regulation 2 shall be taken only to the extent of the available persons from any of the stated category and persons from the other category shall, thereafter, be included enbloc:

Provided further that the seniority of officers of the Upper Division Grade for the purpose of clause (i) of sub-regulation (2) shall be as assigned in the Common Seniority List of the Upper Division Grade prepared under the Central Secretariat Clerical Service (Preparation of Common Seniority List) Regulations, 1971, issued in accordance with the Central Secretariat Clerical Service Rules, 1962.

5. Departmental Promotion Committee.- (1) A Departmental Promotion Committee for assessing the suitability of Eligible Officers in the zone of consideration and making suitable recommendations for inclusions in the Select List of the Section Officers' Grade or the Assistants' Grade, as the case may be, shall be constituted by the Central Government from time to time, the composition of which shall be as follows, namely:-

- | | | |
|-------|--|-------------|
| (i) | Joint Secretary level officer | Chairperson |
| (ii) | Three Directors or Deputy Secretary level officers | Members |
| (iii) | Under Secretary | Member |

(2) The Departmental Promotion Committee shall follow the guidelines or instructions as laid down by the Central Government, from time to time.

6. Seniority.—(1) Eligible Officers included in the Select List under regulation 4 shall rank inter-se in the order in which they are included in the Select List.

(2) The relative seniority of persons regularly appointed to the Assistants' Grade from the Select List for the Grade and direct recruits in the Assistants' Grade recruited against the regular

3104 GI/13-2

vacancies for the period corresponding to the period for which the Select List has been prepared shall be determined according to the rotation of quota of regular vacancies in the Grade earmarked for the appointment of persons included in the Select List and direct recruitment in the ratio of 1:3, respectively.

(3) If adequate number of persons appointed to the Grade on the basis of seniority or Limited Departmental Competitive Examination or direct recruitment, as the case may be, are not available in the Grade, rotation of quotas of vacancies for each of the aforesaid category for the purpose of determining seniority shall be taken only to the extent of the available persons from any of the category and the persons from the other category shall be placed enbloc below the last slot.

7. Removal of names from the Select List.— The names of the persons of the following categories shall be removed by the Central Government from the Select List:

- (a) persons appointed to the concerned Grade;
- (b) persons transferred to another service or post;
- (c) persons who die or retire from service or whose services are otherwise terminated; and
- (d)(i) persons officiating in the respective Grade beyond the period of probation specified in Rule 13, who are reverted therefrom as a result of a departmental enquiry or proceedings under the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965; or
- (ii) persons who, either during or at the end of the period of probation in the respective Grade prescribed in Rule 13, are reverted therefrom under sub-rule (4) of Rule 15, on the ground of unfitness to continue in that Grade; or
- (iii) persons yet to be appointed to the respective Grade, who on an annual review of the Select List are found, because of deterioration in their record or conduct since inclusion in the Select List to have fallen below the required standard.

[F.No.1/7/2009-CS.1(P)]
MANOJ JOSHI, Jt. Secy.

Explanatory Memorandum

The Central Secretariat Service Rules, 2009, were notified on 27th February, 2009. The rule 24 of the said rules repealed the Central Secretariat Service Rules, 1962 and regulations framed thereunder with effect from the aforesaid date. As such, no regulation for preparation of Select Lists of Section Officers' Grade and Assistants' Grade are in force till new regulations are framed under the said Central Secretariat Service Rules, 2009. The vacancies arising after repealing of the earlier regulations can therefore be filled up only after new regulations are brought into force. The retrospective effect of the proposed regulations is only to fill up the vacuum created by the repealing of the earlier regulations since 2009. Further, these regulations are not amendment to the existing Rules, but only issued in furtherance of the said Rules and the retrospective effect would make them concurrent with the main Rules. Under these regulations, the Select Lists of Section Officers' Grade and Assistants' Grade from the year 2009 onwards will be prepared, of which none has been prepared as yet. As such, the interest of no one is prejudicially affected by giving retrospective effect to these regulations.